ये इकोनोमिक आफेंडर्ज कस्टमवालों को दावत खिलाने वाले कौन हैं ? सुकुर नारायण बाखिया के साढ़ू हरि भाई ताडेल जो गोम्रा असेम्बली में कांग्रेस के एम० ल० ए० हैं और.......

MR. SPEAKER: If you want to mention any names, you must follow the Rules. You cannot bring in names of outsiders without any notice, to the Speaker.

श्री मधु लिमये : इनके नाम पहले भी आ चुके हैं । श्री प्रेमा भाई ताडेल जो मारुति के शेयर होल्डर हैं, ऐसे लोगों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, कस्टम वालों को नहीं पकड़ा जाएगा, पुलिस अधिकारियों को नहीं पकड़ा जाएगा । तब तक स्मगलिंग रुक नहीं सकता है । इसलिए सरकार की फेल्योर पर मेरा एडजर्नमेंट मोशन है । इसको आप तत्काल बहस के लिए लें ।

MR. SPEAKER: I have asked them to make a statement. Now, Mr. Vajpayee.

SHRI DINEN BHATTACHARYYA *rose.*

MR. SPEAKER: It is not very essential for you to speak....

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): Sir, very humbly I wish to submit, not even half of the money was spent That money was sanctioned for purchasing speed boats to catch the smugglers. The money was sanctioned by the Government. What happened to that? That money has not been spent. May I ask the Government to clarify the position?

MR. SPEAKER: Madhu Limaye has already read this. Shri Vajpayee.

12.16 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : 6 दिसम्बर को स्टोर्ड क्वेश्चन नम्बर 352, जोकि पोलिएस्टर फाइबर इम्पोर्ट के बारे में था, इस सदन में आया था । श्री चट्टोपाध्याय उसका जवाब दिया था । मैंने आपको लिखा है कि यह जवाब अधूरा है, प्रश्न को टालने की कोशिश की गई है, तथ्य छिपाए गए हैं और इसलिए छिपाए गए हैं कि पोलिएस्टर फाइबर का इम्पोर्ट लाइसेंस देने में एक बड़ा भारी स्कैंडल है, घोटाला है । इसके लिए मैंने एक विशेषाधिकार के उल्लघन का प्रस्ताव दिया है । मैंने डायरेक्शन 115 के अन्तर्गत मंत्री महोदय को लिखा है । अभी अभी मुझे एक जवाब मिला है । इस में कहा गया है । यह कामर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया है :—

"Shri A. P Vajpayee has referred to the particular case of Ms. Bagwandas, Sant Prakkash The facts are being checked up."

एक तरफ तो मंत्री जी कह रहे हैं कि तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है और दूसरी तरफ आज के टाइम्ज आफ इंडिया में यह खबर छपी है :

"An official scrutiny has substantially borne out the truth of the allegations made in Parliament on the improper issue of import licence for polyster fibre to the blacklisted firm in 1971. Government is expected to make a statement on the subject in Parliament tomorrow."

क्या हमें अखबारों से पता लगेगा कि किसी विषय पर मंत्री महोदय का संसद में बयान आने वाला है । आज की कार्य सूची में बयान का उल्लेख नहीं है । यह घोटाला जिस लाइसेंस स्कैंडल पर हम बहस कर रहे हैं उससे भी ज्यादा गम्भीर है ।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सन्त प्रकाश भगवान दास की फर्म को 1967 में एप्रूव्ड इम्पोर्टर्ज की सूची में से निकाल दिया गया था। उस ने 1967 में, 1968 में इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए जो आवेदन दिए वे ठुकरा दिए गए। लेकिन 1970 में उसे लाइसेंस दे दिया गया। जब लाइसेंस दिया गया तो कम्पनी के विरुद्ध सी०बी० आई० की जांच चल रही थी। उस कम्पनी को एबेयेंस में रखा गया था, लैटर आफ काशन जारी किया गया था। लेकिन जैसे ही इम्पोर्ट लाइसेंस दिया वह एबयेंस तथा काशन का लैटर जल्दी में वापिस ले लिया गया।

कम्पनी ने सुपारी का आयात किया, झूठा दावा किया कि अफगानिस्तान में उसकी विदेशी मुद्रा पडी हुई है। लेकिन रिजर्व बैंक ने उससे पूछा नहीं, रजिर्व बैंक के उत्तर के लिए प्रतीक्षा नहीं की गई। उसे सुपारी मगाने का लाइसेंस दे दिया गया। रिजर्व बैंक कहता है कि उसका रुपया विदेशी मुद्रा में पडा है, हमें पता नहीं है। फर्म ने कहा कि हमने अपना दफ्तर सिगापुर भज दिया है, इसकी भी जाच रिजर्व बैंक ने नहीं की। यह स्कैंडल एक गम्भीर स्कैंडल है और श्री चट्टोपाध्याय पर आरोप है कि वह इस घोटाले पर पर्दा डालने के लिए सदन के सामने तथ्य नहीं ला रहे है। डायरेकशन 115 के अन्तर्गत आप उनको निर्देश दे कि वह सदन में इसके बारे में एक वक्तव्य दे।

MR. SPEAKER: Just wait. It is sent to the Minister. It has already been sent to him.

श्री मधु लिमये : (बाका) अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा पायट आफ आर्डर है। मैंने यह प्रश्न उठाया था जिस का उल्लेख अभी श्री वाजपेयी ने किया है। मैं आप को इस का इतिहास बताना चाहता हूं। इस तारांकित प्रश्न में एक टाइपोग्राफिकल एरर था, जो मंत्री महोदय मेरे ध्यान में लाये। बाद में इस को करेक्ट किया गया। प्रश्न पालिएस्टर फाइबर के आयात पर था। मंत्री जी ने कहा है कि जून, 1970 के बाद जिन लोगों को पोलिएस्टर फाइबर के आयात के बारे में लैटर आफ एथारिटी दिये गये हैं, उन सभी सज्जनों की जानकारी, और उन के द्वारा कानूनों का जो उल्लंघन किया गया है, उस की भी जानकारी सदन को दी जायेगी। वह कब दी जायेगी, इस का पता नहीं है। आप ने कहा है कि शायद यह लोक सभा आगे न चले

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा है ?

श्री मधु लिमये : सदन में नहीं कहा है। अच्छा मैं ही कहता हू। मैं कहता हू कि शायद —मैं निश्चित नहीं हू—यह लोक सभा आगे न चले। तो फिर हम को यह जानकारी कब मिलेगी ? क्या आप मन्त्री महोदय को आदेश देंगे कि केवल भगवानदास के केस के बारे में ही नहीं, बल्कि जून, 1970 के बाद के सब केसिज के बारे में, वह एक स्टेटमेंट दे। जून, 1970 की बात मैंने इस लिए कही है कि जून, 1970 में श्री एल० एन० मिश्र ने फारेन मिनिस्ट्री का चार्ज लिया, और उस के बाद विदेश व्यापार को चोपट करने का काम शुरू किया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जब वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जानकारी इकट्ठी की जा रही है, तो वह जानकारी समाचार-पत्रों में कैसे आ रही है ?

अध्यक्ष महोदय : समाचारपत्र मिनिस्टर के थोड़े ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस का मतलब यह है कि जानकारी मंत्रालय में है और मंत्री महोदय जान-बूझ कर उस जानकारी को दबा रहे हैं। वह श्री एल० एन० मिश्र को बचाने के चक्कर में फिर से मसीबत में फस रहे हैं।

श्री मधु लिमये : वह अपनी गर्दन को बचायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर कामर्स मिनिस्टर आज बयान देने के लिए तैयार हैं, तो आज बयान दे दिया जाये। अगर वह कल बयान देना चाहते है, तो वह कल दे दे।

MR. SPEAKER: The Minister will make a statement on it. He has to collect this information. He cannot be forced to get the information just at the spur of the moment.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I gave a notice of privilege motion; I gave notice under Direction 115 I have received a reply from the Minister. If he wants to make a statement, he should be allowed to do so.

MR. SPEAKER: Kindly don't expect the Ministers to be so superhuman that they can give it to you in twenty four hour's time. Even if they give in haste, and if there happens to be something wrong, then you come with a privilege motion.

डायरेक्शन 115 के मातहत इस को मिनिस्टर के पास भेज दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिए। अगर वह तैयार हों, तो वह बयान दे दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या मिनिस्टर साहब तैयार है ?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHAYA): I shall take some time. It is a very intricate and complex matter. Informations have to be collected and checked up and before I make that information available, I have to satisfy myself whether the information is correct. So, I will take time.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: How, much time will you take?

आप उन को कहिये कि वह कल स्टेटमेंट दें।

MR. SPEAKER: He is asking how much time you will take.

PROF D. P. CHATTOPADHYAYA: I shall take three or four days.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This is not acceptable to us.

MR. SPEAKER: Then what is acceptable to you?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE. He is waiting for the adjournment of the session. You will kindly go through the Times of India's report.

MR SPEAKER: Even if it comes to me after the session, it would be my first duty to send it on to you.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: What for? Is it for my personal consumption?

श्री मधु लिमये : मेरे प्रश्न का जवाब तो हाउस में आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप उन को कहिए कि वह कल स्टेटमेंट दे। मेरा निवेदन है कि सारी जानकारी मिनिस्ट्री में मौजूद है।

MR. SPEAKER: The Minister has to collect the information. I can ask him to collect it as soon as possible and try to satisfy you at the earliest.

PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA: I shall obey your orders.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सब जानकारी उन के पास है।